कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री के0के0 इण्डस्ट्रीज, 4 / 316 / 8 बालूगंज, आगरा।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**022 / 16, 12.09.2016**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री के0के0 इण्डस्ट्रीज, 4 / 316 / 8 बालूगंज, आगरा द्वारा दिनांक 12.09.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्लास्टिक स्वनिर्मित किचिन चौकी / पटला पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 10.10.2017 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन, आगरा के पत्र संख्या-1796, दिनांक 23.11.2016 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा किचिन चौकी / पटला पर 13.5 प्रतिशत से आरोपित कर के स्थान पर 5 प्रतिशत से कर आरोपित किए जाने का अनुरोध किया गया है। व्यापारी द्वारा किचिन चौकी / पटला पर नोटिफिकेशन संख्या-KA-NI-267 / XI दिनांक 10/01/2008 के अनुसार प्लास्टिक की अन्य कन्वियन्स वस्तुओं (Other conveyance article of plastic)का आधार लेते हुए 5 प्रतिशत से करदेयता स्वीकार की गयी है, जबकि किचिन चौकी / पटला के द्वारा किसी वस्तु के परिवहन, पारेषण या हस्तान्तरण का कार्य नहीं किया जाता है, जिसके कारण किचिन चौकी / पटला अन्य कन्वियन्स वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है और न ही किचिन चौकी / पटला को किसी भी कर के शिड्यूल में वर्गीकृत किया गया है। व्यापारी द्वारा समय-समय पर आपके द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत दिए गए जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है, वह प्लास्टिक के बने तसले एवं प्लास्टिक के कॉटें एवं चम्मच से सम्बन्धित है, उसमें किचिन चौकी / पटला का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार किचिन चौकी / पटला पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 13.5 प्रतिशत से कर आरोपण उचित रुप से किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि व्यापारी के वर्ष 2010-11 के प्रान्तीय वाद में धारा-31 के अन्तर्गत दि0 23/03/2016 को आदेश पारित करते हुए किचिन चौकी / पटला की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जा चुका है।

इसलिए आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा पृच्छित प्रश्न का आधार नोटिफिकेशन संख्या KA-NI-267 / XI दिनांक 10/01/2008 के अर्न्तगत प्लास्टिक की अन्य कन्वियन्स वस्तुओं (Other conveyance article of plastic) का है। जो अनुसूची-II की पार्ट-ए के क्रमांक संख्या-24 की प्रविष्टि

"**Buckets made of iron & steel, aluminium, plastic or other materials (except precious materials);Other conveyance articles of plastic"**

में डाला गया है। अनुसूची-II की पार्ट-ए के क्रमांक संख्या-24 की प्रविष्टि से आच्छादित मानते हुए 5% की दर से करदेयता स्वीकार की गई है जब कि Other conveyance article of plastic में व्यापारी द्वारा बिक्री की जाने

.....2

वाली वस्तुएं किचिन चौकी / पटला वर्गीकृत नही है । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2010-11 के प्रान्तीय वाद में धारा-31 के अन्तर्गत दिनांक 23/03/2016 को आदेश पारित करते हुए किचिन चौकी / पटला पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जा चुका है । जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी द्वारा धारा-59 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) निम्नवत है :-

No question which arises from an order already passed, in the case of applicant, by any authority under this Act or the Tribunal, shall be entertained for determination under this section.

अत: प्रार्थी का प्रश्न उक्त निर्णय से उत्पन्न हुआ एवं तद्नुसार आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन आगरा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । प्रार्थी के वर्ष 2010-11 के प्रान्तीय वाद में धारा-31 के अन्तर्गत दि0 23/03/2016 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए किचिन चौकी / पटला अवर्गीकृत वस्तु मानते हुए कर आरोपित किया गया है । अत: प्रार्थी का प्रश्न उक्त निर्णय से उत्पन्न हुआ है एवं तद्नुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है ।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

ह0/ 25/10/2017

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।